न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
109 / 2024	21.03.2024	16.04.2024

उनवान

1. श्री भूपेन्द्र पुत्र श्री शंकर लाल जाति मोगरा आयु वयस्क, निवासी–155, वकील कॉलोनी, भीलवाडा (राज.)
2. श्री महेन्द्र पुत्र श्री शंकर लाल जाति मोगरा आयु वयस्क, निवासी–155, वकील कॉलोनी, भीलवाडा (राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र श्री अमरा बैरवा, आयु वयस्क, निवासी–कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज,
2. लक्ष्मण पुत्र श्री अमरा बैरवा, आयु वयस्क, निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा–राज.
3. रामकल्याण पुत्र नन्दराम गोद पुत्र काना बैरवा, आयु वयस्क, निवासी–कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा–राज.
4. भैरू पुत्र गोकल बैरवा, आयु वयस्क, निवासी–कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज.
5. दिनेश माता डाली बलाई आयु वयस्क, निवासी–कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज.
6. गंगा पिता होक्मा वैरवा, आयु वयस्क, निवासी–कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज.
7. सत्यनारायण पिता रामदेव कीर, आयु वयस्क, निवासी–कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज.
8. उगमा पिता गोकल जाट, आयु वयस्क, निवासी–कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज.
9. कन्हैया लाल पिता कजोड गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी–कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज.
10. दिनेश पिता रामलाल भांभी आयु वयस्क, निवासी–कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज.
11. पवन पुत्र जगदीश खटीक, आयु वयस्क, निवासी–कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज.
12. पुष्पा देवी पत्नि श्री कैलाश चन्द्र जागेटिया, आयु वयस्क, निवासी–बडे मन्दिर के पास, भीलवाडा–राज.
13. हीरा पिता दौला बैरवा, आयु वयस्क, निवासी–कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा–राज.

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा

14. देवी पिता प्रताप बोला, आयु वयस्क, निवासी–कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज.
15. रामचन्द्र पिता माधु बलाई, आयु वयस्क, निवासी–कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज.
16. रतनलाल पिता श्री उदयलाल गाडरी आयु वयस्क, निवासी–कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज.
17. मदनलाल पिता श्री कन्हैयालाल ब्राह्मण आयु वयस्क, निवासी–कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज.
18. उगमा पिता श्री गोकुल जाट, आयु वयस्क, निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज.
19. माधु पिता रामा बैरवा आयु वयस्क, निवासी–कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज
20. नाथु पिता तेजा कीर, आयु वयस्क, निवासी–कालसास तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज.
21. जितेन्द्र सिंह पिता श्री गुमान सिंह आयु वयस्क, निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा–राज.
22. दिनेश पिता श्री रामलाल भाम्भी, आयु वयस्क, निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा–राज.
23. पूरणमल पिता श्री देवीलाल खटीक, आयु वयस्क, निवासी–पंचमुखी दरबार के पास, भीलवाडा–राज,
24. भवानी सिंह पिता श्री भंवर लाल दरोगा, आयु वयस्क, निवासी–कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज.
25. गुलाब पुत्र श्री मांगु खाती आयु वयस्क, निवासी–कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा–राज,
26. रामलाल पिता श्री नंदा रेगर आयु वयस्क, निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज.
27. सुखा पिता श्री लक्ष्मण कीर, आयु वयस्क, निवासी–कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा–राज.
28. जगन्नाथ पिता श्री बालु दरोगा, आयु वयस्क, निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा–राज.
29. रामलाल पिता श्री बालुराम खटीक, आयु वयस्क, निवासी–खटीक मोहल्ला, पुरानी धान मण्डी, भीलवाडा–राज.
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज०)

–विपक्षीगण

उपस्थित:–अधिवक्ता प्रार्थी प्रकाश देवाणी
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 29 उपस्थित नहीं

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

-: प्राथना पत्र अन्तगत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व आधीनेयम :-

-: **निर्णय** :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कालसांस प0ह0 रीछड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 54 की अभिलिखित आराजियात 1729, 1742, 1749, 1788, 1907, 1962, 2202, 2206 कुल किता 8 कुल रकबा 10.0527 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 29 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा कालसांस प0ह0 रीछड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 54 की अभिलिखित आराजियात 1729, 1742, 1749, 1788, 1907, 1962, 2202, 2206 कुल किता 8 कुल रकबा 10.0527 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा

पत्रावली को निर्णीत इन्द्राज को जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा